

छत्तीसगढ़ विधानसभा
पत्रक भाग-एक
संक्षिप्त कार्य विवरण
बुधवार, दिनांक 23 मार्च, 2011
(चैत्र-2, शक संवत् 1933)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।
(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. बधाई

माननीय अध्यक्ष द्वारा होली के अवसर पर सदन को एवं प्रदेश की जनता को शुभकामनाएं दी गईं।

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 04, 06, 08 से 15 (कुल 13) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्न संख्या 05 एवं 07 के प्रश्नकर्ता सदस्य क्रमशः सर्वश्री विरेन्द्र कुमार साहू एवं दूजराम बौद्ध अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 07 तारांकित एवं 21 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री विक्रम उसेंडी, वन मंत्री ने कम्पनी अधिनियम, 1956 (क्रमांक 1 सन् 1956) की धारा 619-ए की उपधारा (3) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2009-2010 पटल पर रखा।

4. ध्यानाकर्षण सूचना

- (1) श्री सौरभ सिंह, श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर, श्रीमती सरोजा मनहरण राठौर (अनुपस्थित) - सूचना प्रस्तुत नहीं हुई।
- (2) श्री देवजी पटेल सदस्य ने रायपुर जिले में शालेय छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति का वितरण नहीं किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, स्कूल शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

5. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं:-

- (1) श्री सौरभ सिंह
- (2) श्री भोलाराम साहू
- (3) श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर
- (4) डॉ.हरिदास भारद्वाज
- (5) श्री अमरजीत भगत

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

- (1) श्री विरेन्द्र कुमार साहू
- (2) श्री अग्नि चंद्राकर
- (3) श्री गुरु रुद्र कुमार
- (4) श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर
- (5) डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम
- (6) डा.कृष्णमूर्ति बांधी
- (7) श्री सेवकराम नेताम
- (8) श्रीमती लक्ष्मी बघेल
- (9) श्री बैदूराम कश्यप
- (10) श्री खेदूराम साहू

7. वर्ष 2011-2012 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

माननीय वन मंत्री के विभाग की मांग पर पुनर्गृहीत चर्चा में (श्री अमरजीत भगत-अनुपस्थित) श्री लखमा कवासी, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-
सर्वश्री दीपक कुमार पटेल, धर्मजीत सिंह, फूलचन्द सिंह,

(सभापति महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

श्री रामदेव राम, (डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी-अनुपस्थित), श्री रामजी भारती,

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री शिवराज सिंह उसारे, दूजराम बौद्ध, श्रीमती अंबिका मरकाम,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

(श्री खेदूराम कश्यप-अनुपस्थित), सर्वश्री जगेश्वर राम भगत, हृदय राम राठिया, डमरूधर पुजारी, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, श्री सेवकराम नेताम, डॉ.शक्राजीत नायक, श्रीमती सुमित्रा मारकोले, श्री टी.एस. सिंहदेव एवं श्री रविन्द्र चौबे ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

श्री विक्रम उसेंडी, वन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांग का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री राजेश मूणत, नगरीय प्रशासन मंत्री ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय से संबंधित मांग संख्या 22, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण से संबंधित मांग संख्या 69, नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या 81, परिवहन विभाग से संबंधित मांग संख्या 36, आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 21 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-22 पर सर्वश्री नंदकुमार पटेल, चैतराम साहू, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, डॉ.शक्राजीत नायक, सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, भोलाराम साहू, अग्नि चंद्राकर **मांग संख्या-69 पर** श्री रविन्द्र चौबे एवं श्री धर्मजीत सिंह, **मांग संख्या-81 पर** श्रीमती अंबिका मरकाम एवं डॉ.हरिदास भारद्वाज, **मांग संख्या-36 पर** सर्वश्री रविन्द्र चौबे, नंदकुमार पटेल, चैतराम साहू, (डॉ.) प्रेमसाय सिंह टेकाम, धर्मजीत सिंह, शिवराज सिंह उसारे, (डॉ.) शक्राजीत नायक, (डॉ.) हरिदास भारद्वाज, भोलाराम साहू **मांग संख्या-21 पर** सर्वश्री रविन्द्र चौबे, धर्मजीत सिंह, चैतराम साहू, (डॉ.) प्रेमसाय सिंह टेकाम, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, डॉ.शक्राजीत नायक, सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, (डॉ.) हरिदास भारद्वाज, भोलाराम साहू, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि - सदन ने नगरीय प्रशासन मंत्री के विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा हेतु तीन घंटे का समय निर्धारित किया है। दलों की सदस्य संख्या के आधार पर भाजपा के लिए 1 घंटा 38 मिनट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए 1 घंटा 18 मिनट और बसपा के लिए 4 मिनट का समय उपलब्ध है। आज नगरीय प्रशासन मंत्री जी के विभागों पर चर्चा पूर्ण होनी है। मैं समस्त दलों के सचेतकों से अनुरोध करता हूँ कि निर्धारित समय में ही चर्चा पूर्ण हो सके, सुनिश्चित कर कार्यवाही के संचालन में सहयोग करेंगे।

मांगों एवं कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई।

डॉ.शक्राजीत नायक, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(सभापति महोदय (डॉ.हरिदास भारद्वाज) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री देवजी पटेल, टी.एस.सिंहदेव,

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से कार्यसूची के पदक्रम 5 (2) का कार्य पूर्ण होने तक

सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

श्री फूलचंद सिंह,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री धर्मजीत सिंह, नंदकुमार साहू, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, सर्वश्री राजूसिंह ठाकुर, कुलदीप सिंह जुनेजा, बर्नाड जोसेफ रोड्रिक्स, चैतराम साहू, भोलाराम साहू, जयसिंह अग्रवाल।

रात्रि 7.25 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 24 मार्च, 2011 (चैत्र 3, शक संवत् 1933) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा

सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा